न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3066–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–06–2013 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक मण्डल, खरगौन तहसील बरेली जिला रायसेन प्रकरण कमांक 12/अ–12/12–13

.....

गयाप्रसाद आ. श्री हीरालाल
निवासी ग्राम खैरवाडा तहसील बरेली,
जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

राजेन्द्र प्रसाद आ. श्री बद्रीप्रसाद
निवासी ग्राम खैरवाडा तहसील बरेली
जिला रायसेन म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक–आवेदक
श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक– अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/7/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक मण्डल, खरगौन तहसील बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–06–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि राकेश कुमार द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल खरगौन तहसील बरेली जिला रायसेन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खैरवाडा तहसील बरेली स्थित भूमि कमशः सर्वे नम्बर 24/6 रकवा 16.20 एकड़ श्री रामजानकी मंदिर, वगलवाडा, सदस्यगण राकेश कुमार व अन्य सभी सदस्य, सर्वे कमांक 24/2/1 रकबा 25.02,

राजेन्द्रप्रसाद आ.बद्रीप्रसाद सर्वे नम्बर 24/2/2 रकवा 25.94, अनंतकुमार आ. पुष्पेन्द्र कुमार एवं सर्वे कमांक 24/2/3 रकवा 10.00 एकड़, अविनय कुमार आत्मज राजेंद्र कुमार कुल खातेदार 4 कुल रकवा 77.16 एकड़ के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, वे उक्त भूमि का सीमांकन कराना चाहते हैं, अतः तद्नुसार सीमांकन किया जाये । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–12/12–13 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन किया जाकर दिनांक 11–6–2013 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्ष के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक सहित अन्य पड़ोसी कृषकों को सूचना दिये बिना ही प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) आवेदक अन्य ग्रामवासियों के साथ मौके पर गया तो ज्ञात हुआ कि राजस्व निरीक्षक द्वारा रात्रि में ट्रेक्टर की रोशनी में सीमांकन की कार्यवाही कर रहे हैं । इस संबंध में आवेदक द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर आवेदक की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया ।

(3) सीमांकन अवधि में पटवारियों की हड़ताल चल रही थी, इसलिये संबंधित हल्के के पटवारी की अनुपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं था और मौके पर शासन पक्ष की ओर से कोई व्यक्ति भी उपस्थित नहीं हुआ था, इसके बावजूद भी की गई सीमांकन की कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) सीमांकन में सर्वे कमांक 24/6 का सीमांकन किये जाने का उल्लेख है, परन्तु सीमांकन प्रकरण में संलग्न अक्श में सर्वे कमांक 24/6 का कोई उल्लेख नहीं है ।

(5) सीमांकन कार्यवाही के आधार पर फील्डबुक तैयार की जाती है, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा एक दिन पूर्व ही दिनांक 9–6–2013 को फील्डबुक बनाते हुये सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश

में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दिनांक 8–6–13 एवं दिनांक 9–6–13 को निशानातो की खोज करने के उपरांत दिनांक 10–6–13 एवं दिनांक 11–6–13 को सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न की गई ।

(6) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन आदेश में अवैध कब्जाधारी का उल्लेख किया है, परन्तु स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि किस–किस भूमि पर किस–किस का अवैध कब्जा है ।

(7) राजस्व निरीक्षक द्वारा फील्डबुक में स्थायी चॉदा उत्तर से दक्षिण की ओर सीमांकन किये जाने का उल्लेख हैं, परन्तु उत्तर से दक्षिण की ओर किसी के खेत की सीमाएं नहीं है ।

(8) सीमांकन प्रकरण में संलग्न नक्शे तथा मूल राजस्व नक्शे में उल्लिखित चॉदा मेड़िया पृथक–पृथक हैं, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर सीमांकन किया गया है ।

(9) राजस्व निरीक्षक द्वारा काल्पनिक सीमाचिन्ह के आधार पर सीमांकन किया गया है । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् अनावेदक सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर सीमांकन कार्यवाही गई है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का अवैध कब्जा निकला है, अतः कब्जा नहीं देने के उद्देश्य से ही आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 8–6–2013 को सीमांकन किये जाने संबंधी सूचना पत्र जारी किया गया है और दिनांक 8–6–2013 को सीमांकन नहीं किया

जाकर दिनांक 10–6–2013 एवं दिनांक 11–6–2013 को सीमांकन किया गया है और फील्डबुक दिनांक 9–6–2013 को तैयार की गई है । सीमांकन पंचनामें में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 8–6–2013 से दिनांक 9–6–13 तक निशानातो की खोज की गई है । उपरोक्त स्थिति से स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् सीमांकन की कार्यवाही सम्पादित नहीं कर मनमाने तरीके स पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार की गई है । इसके अतिरिक्त सीमांकन पंचनामा एवं प्रतिवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि किसी व्यक्ति का प्रश्नाधीन भूमि के किस भाग पर अवैध कब्जा है । यहॉ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि सीमांकन की कार्यवाही एक पक्ष के आवेदन पत्र पर होती है, संयुक्त रूप से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सीमांकन किये जाने का प्रावधान संहिता की धारा 129 में नहीं है, अतः स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक मण्डल, खरगौन तहसील बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–06–2013 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 3067–पीबीआर/2013 एवं निगरानी प्रकरण कमांक 3021–पीबीआर/2013 पर भी लागू होगा, अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर